न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 64 / 2024 / अपील / एलआरएक्ट / बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांक: 16.08.2024
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रमेश पुत्र बाबूलाल जाति काछी निवासी बीमलपुर, तहसील शाहबाद, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहबाद जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री आलोक गोयल, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 04.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05 / 2024 बउनवान रमेश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 10 / 2023 निर्णय दिनांक 25.01.2023 से अपीलार्थी को ग्राम बीमलपुर की आराजी खसरा सं0 100 रकबा 4.00 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 60 /– रूपये जुर्माना एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद के निर्णय दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध होने पर तदनुसार अपील अपीलार्थी निर्णय दिनांक 30.05.2024 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। न्यायालय के द्वारा अतिचारी होने बाबत् कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिससे जवाबदेही एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला। अपीलार्थी का किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस विधिवत तामील नहीं किया गया है। केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर सजायाब कर दिया गया है, जो न्यायोचित होने से दण्डादेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाये जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् पत्रावलियों में कोई साक्ष्य या रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी का प्रश्नगत आराजी पर कोई कब्जा नहीं है तथा तावान राशि संपूर्ण जमा करवा दी गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।

5 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर प्रकरण में अपीलांट द्वारा धारा–5 प्रार्थना–पत्र में विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में मियाद कण्डोन करने के उपरांत अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित प्रकट होता है।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 10/2023 निर्णय दिनांक 25.01.2023 से अपीलार्थी को ग्राम बीमलपुर की आराजी खसरा सं0 100. रकबा 4.00 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 60/– रूपये जुर्माना एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध होने पर तदनुसार अपील अपीलार्थी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निर्णय दिनांक 30.05.2024 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का न्यायालय हाजा में तर्क रहा है कि अपीलार्थी का प्रश्नगत आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा तावान राशि जमा करायी जा चुकी है। अपीलार्थी के उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 10/2023 दर्ज किया जाकर दिनांक 23.01.2023 को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 25.01.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने को निर्देशित किया गया। उक्त नोटिस दिनांक 23.01.2023 को जारी कर दिनांक 25.01.2023 को न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद के द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। जबकि अपीलार्थी को जारी किये गये नोटिस दिनांक 23.01.2023 के तामील के संबंध में तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर अंकित नहीं है और न हीं तामीली रिपोर्ट का अंकन है कि अपीलार्थी को दिनांक 23.01.2023 को जारी नोटिस किस दिनांक को तामील हुआ है। ऐसी स्थिति में विधिवत तामील नहीं होने से दण्डादेश दिनांक 25.01.2023 को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.07.2024 से अपीलार्थी रमेश पुत्र बाबू निवासी बीमलपुर का किसी चारागाह भूमि पर वर्तमान में खेती नहीं करना तथा कोई राजस्व बकाया नहीं होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद द्वारा प्रकरण सं0 05/2024 बउनवान रमेश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 अपास्त किया जाता है एवं न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद के निर्णय दिनांक 25.01.2023 से अपीलार्थी की एक माह के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा